तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमला बनाम राज. सरकार	नम्बर व अहलकार हुक्म की ... में जारी
13/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 01/5/26 को पेश हो।	
1/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में Tdr उच्चैन से दिनांक 8/4/26 को पेश हुआ प्राप्त किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 5/5/26 को पेश हो।	
5/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/5/26 को पेश हो।	
8/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया है पत्रा० फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 03/2025

1. कमलसिंह पुत्र हीरालाल जाति जाटव निवासी भैंसा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

....................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

....................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—08.05.2026**

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1171/0.31 बाके ग्राम भैंसा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। प्रार्थी के अलाबा उक्त आराजी से उन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थी की उक्त आराजी गांव की आबादी के नजदीक है एवं उक्त आराजी के दक्षिण में खसरा नम्बर 1172 गैर मुमकिन कब्रिस्तान का नम्बर है जिस पर ग्रामीणों ने घूरा ईंधन बिटौरा एवं अन्य तरीकों से अस्थाई अतिकमण कर रखा है तथा उक्त उक्त गैर मुमकिन कब्रिस्तान के नम्बर की आड में गांव वाले धीरे—धीरे मुझ प्रार्थी की खातेदारी की दक्षिणी डौल को तोडकर कब्जा करते रहते है। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजी की पैमाईश करा कर पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाईश दिनांक 13.06.2024 को करायी थी। प्रार्थी दिनांक 13.06.2024 को करायी गई पैमाईश के अनुसार अपनी आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार उच्चैन के द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश करा कर लाने के लिये कहा। प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.06.2024 को की गई पैमाईश के अनुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1171 रकवा 0.31है0 कमल पुत्र हीरालाल जाति जाटव सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर 1171 का सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2024 को किया जाकर निशानात कायम करवाये गये है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जो कि पटवार स्तर से संभव नहीं है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी की पैमाइश दिनांक 13.06.2024 को की जा चुकी है। पडौसी खातेदार उक्त आराजी की डौल मैडों को तोडते रहते है जिसके कारण

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

विवादित आराजी की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 वाके ग्राम भैंसा एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट वाके ग्राम भैंसा दिनांक 13.06.2024 का अवलोकन किया गया तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन को आदेशित किया जाता हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1171/0.31 बांके ग्राम भैंसा तहसील उच्चैन में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदि ना हो एवं उक्त आराजी पर कब्जे संबंधी विवाद आदि नहीं हो तो उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी करावें। इस बाबत् अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)